


अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

अभिलेख वाद संख्या-255/9-2020(1)

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
06/03/2020	<p>वाद का प्रकार-बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एवं कार्रवाई से संबधित।</p> <p>झारखण्ड सरकार के झापांक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016 सहपठित- श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा०म०नि०-119/85/2308/रा०, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्ररम्भ की गयी। जॉच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-</p> <p>मौजा-.....<u>गोरावा</u>..... थाना नं०-<u>34</u>..... खाता संख्या-<u>21</u>..... प्लॉट संख्या-<u>34</u>..... रकबा-<u>०.५०</u>..... एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द संख्या-<u>1</u> के पृष्ठ संख्या-<u>131</u> पर जमाबंदी रैयत <u>उवन चोपी पिता दलाल चोपी</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को सदग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध कोडकर बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उधेश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव संबधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।</p> <p>अभिलेख दिनांक-<u>20/03/2020</u> को उपस्थापित करें।</p> <p align="right">  अंचल अधिकारी गोविन्दपुर </p>	

26/03/2020

अधिलेख व्यवस्थापित। नोटिफिकेशन द्वारा। विधानसभा निर्वाचन को जयपुरी
रीयल/जयपुरी रीयल के बचत के द्वारा जयपुरी नूनि से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज
जमाया नहीं किया गया और न ही अगला पल ही गया गया।

अतः जयपुरी जयपुरी को अगला भागों हुए हमें विचार (आवश्यक) नूनि सुभाष अधिलेखन
1950 की धारा 4(1) के तहत जयपुरी को नू सभने हेतु अनुमति की जाती है। अगला
सर्वेवाई हेतु अधिलेख नूनि नू सुभाष अधिलेखनों को केने।

अध्यक्ष अधिलेखनी
गोविन्दपुर